



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/म.शा. /2026/ 690

भोपाल, 12/06/2026

दर-आमंत्रण

प्रति,

विषय : विश्वविद्यालय के भोपाल स्थित परिसर/विभागों में रखी अलमारियों/रेकों/कूलरों में पेंटिंग एवं अलमारियों/रेको में सुधार कार्य करवाने के लिए दरें आमंत्रित।

विश्वविद्यालय के भोपाल स्थित बिशनखेड़ी/विकास भवन परिसर के विभिन्न विभागों में रखी अलमारियों/रेकों/कूलरों में पेंटिंग एवं अलमारियों/रेकों में सुधार कार्य करवाने के लिए दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपनी दरें "कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल" के नाम से दिनांक 25-06-2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/पत्रवाहक के माध्यम से भण्डार शाखा, चाणक्य भवन, प्रथम तल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, माखनपुरम, म.प्र.शूटिंग अकादमी के पास, बिसनखेड़ी, भोपाल-462044 (म.प्र.) के पते पर भेज सकते हैं। अलमारियों/रेकों/कूलरों में पेंटिंग एवं अलमारियों/रेकों में सुधार कार्य करवाये जाने की सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	सामग्री का विवरण	कंपनी का नाम	उल्लेखित राशि प्रति नग समस्त कर सहित अंको में (शब्दों में)
1.	अलमारी में पेंटिंग, डेटिंग करने का चार्ज		
2.	रेको में पेंटिंग, डेटिंग करने का चार्ज		
3.	कूलर में पेंटिंग, डेटिंग करने का चार्ज		
4.	अलमारी में लॉक बदलने का चार्ज		
5.	अलमारी में नये पाये लगाने का चार्ज		
6.	अलमारी में स्टेण्ड लगाने का चार्ज		
7.	अलमारी में मूकपान (लॉक के ऊपर कवर) लगाने का चार्ज		
8.	अलमारी में कब्जा लगाने का चार्ज		
9.	अलमारी/रेको में वेल्डिंग/मरम्मत कार्य का चार्ज		
10.	अलमारी में नई रॉड लगाने का चार्ज		
11.	अलमारी में कपड़े टॉगने की रॉड लगाने का चार्ज		
12.	अलमारी में नये हेण्डल लगाने का चार्ज		
13.	अलमारी की तिजोरी के लॉक बदलने का चार्ज		

नियम व शर्तें :-

1. निर्धारित समयावधि के पश्चात् फर्मों से प्राप्त दरों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट-बरखेड़ा नाथू, बिसनखेड़ी, भोपाल-462044, फोन 0755-2551642, 2553523

Makhanpuram Parisar, Near M. P. State Shooting Academy, Post-Barkheda Nathu, Bisankhedi, Bhopal- 462044, Phone-0755-2551642, 2553523

Website - www.mcu.ac.in



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

2. स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी एवं विकास भवन परिसर स्थित निर्धारित स्थान एवं समय पर अलमारियों/रेकों/कूलरों में पेंटिंग एवं अलमारियों/रेकों में सुधार कार्य करना होगा। इस हेतु पृथक से कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
3. फर्म/संस्था/प्रोपाइटर का आधार कार्ड तथा पैन कार्ड संलग्न करें।
4. किसी भी दर आमंत्रण निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।
5. अलमारियों/रेकों/कूलरों में पेंटिंग एवं अलमारियों/रेकों में सुधार कार्य संपादित करने की वारंटी अवधि तक आवश्यकता पड़ने पर आपको विश्वविद्यालय में उपस्थित होना होगा।
6. सामग्री की गुणवत्ता अपेक्षित मानदण्डों के अनुरूप न होने पर भुगतान देय नहीं होगा।
7. आपको उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग पेंटिंग एवं सुधार कार्य में करना होगा। कंपनी का नाम मद में आप कंपनी का उल्लेख आवश्यक रूप से करें।
8. भुगतान हेतु देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।
9. अलमारियों/रेकों/कूलरों में पेंटिंग एवं अलमारियों/रेकों में सुधार कार्य की वारंटी अवधि का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा।
10. चयनित फर्म/संस्था/प्रोपराइटर को सर्वप्रथम एक-एक अलमारी का पेंटिंग एवं सुधार कार्य करवाया जायेगा। कार्य संतोषजनक होने पर ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा। कार्य आदेश जारी करने के 3 कार्यालयीन दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा।
11. यह दरें 1 वर्ष तक मान्य होगी। आपसी सहमति से 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
12. चयनित फर्म को रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) सुरक्षा निधि राशि के रूप में जमा करने होंगे।
13. एक वित्तीय वर्ष में कुल कार्य रुपये 2.5 लाख तक कराया जा सकेगा।

पृ. क्र./भ.शा./2026/....691.

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, कुलगुरु/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रस्तुत।
3. समन्वयक, वेब साइट संधारण को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
4. प्रभारी, भण्डार शाखा/संधारण शाखा को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
5. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव
भोपाल, 22/06/2026

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव